क्रम सं0–563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

3 सुशीला देवी पति परेश कुमार रवि, निवास स्थान सुभाष नगर, डुमुडुडु रोड, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–बभनी, थाना संख्या–250, खाता संख्या–17, प्लॉट संख्या–708/714 रकवा 0.16 एकड़ (16 डिसमिल) (सोलह डिसमिल) भूमि (1.) राजेन्द्र कुमार दास पिता गणेश राम, निवास स्थान ग्राम–भेलवारा, थाना–मुफस्सिल, जिला–हजारीबाग (2.) राहुल रंजन पिता ब्राही राम, निवास स्थान ग्राम–बाक्सीडीह, पोस्ट–दारु, थाना–दारु, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-199/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1116/रा0 दिनांक 21.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1563 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत बंधना दुसाध वगैरह हैं। खतियान में भूमि का कुल रकबा 14.48 एकड़ दर्ज है तथा केवाला से खरीदगी भूमि रकवा 0.16 एकड़ दर्ज है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 0.16 एकड़ दर्ज है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या–28/III पर सुशीला देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत है। पूर्ण भूमि आवेदक की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् लगभग 0.60 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	

प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। वर्ष 2023-24 तक निर्गत् लगान रसीद की प्रति प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुशीला देवी पति परेश कुमार रवि, निवास स्थान सुभाष नगर, डुमडुमा रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-खभनी, थाना संख्या-250, खाता संख्या-17, प्लॉट संख्या-708/714 रकवा 0.16 एकड़ (16 डिसमिल) (सोलह डिसमिल) भूमि (1.) राजेन्द्र कुमार दास पिता गणेश राम, निवास स्थान ग्राम-भेलवारा, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग (2.) राहुल रंजन पिता ज्ञानी राम, निवास स्थान ग्राम-बायरीडीह, पोस्ट-दारू, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.18 16:17:55 +05:30
Location: 192.168.0.103